



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 ज्येष्ठ 1943 (श10)

(सं0 पटना 352) पटना, बृहस्पतिवार, 10 जून 2021

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

11 मार्च 2021

सं0 5 न0वि0/गठन-44/2020-1243/न0वि0एवंआ0वि0—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 11, 2007) (यथासंशोधित) की धारा 3 (1) (क), 4, 5, 6 एवं 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्न विवरणी के कॉलम 3 के अन्तर्गत पड़नेवाले बेगूसराय जिला के कॉलम 5 में यथावर्णित चौहद्दी के अन्तर्गत पड़नेवाले क्षेत्रों में, जिसका प्रारूप विभागीय अधिसूचना संख्या-4341 दिनांक-26.12.2020 द्वारा पूर्व प्रकाशित है, प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक विचारोपरान्त नगर परिषद, का गठन करते हैं तथा उक्त अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों को उक्त क्षेत्रों में लागू करते हैं :-

क्रमांक	नगर निकाय का नाम	सम्मिलित ग्रामों का नाम/थाना संख्या	सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	नगर निकाय की चौहद्दी (थाना नं0 सहित)	नगर पंचायत की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर)
1	2	3	4	5	6
1	नगर परिषद बरौनी	फुलबड़िया-390 शोकहारा-389 बारो-373 निपनियाँ मधुरापुर-367	फुलबड़िया-1, फुलबड़िया-2, शोकहारा-1, शोकहार-2, बारो उत्तरी एवं बारो दक्षिणी (पूर्ण भाग) तथा फुलबड़िया-3 एवं निपनियाँ मधुरापुर (वार्ड नं0 10 एवं 11 को छोड़कर) (आंशिक)	उत्तर-एन0एन0-28 दक्षिण-गुप्ता बाँध पूरब-अंचल बरौनी एवं नगर परिषद बीहट पश्चिम-मौजा बरौनी-335	71660

2. इस क्षेत्र को नगर परिषद बरौनी कहा जायेगा।
3. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 352-571+200-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>